

## विज्ञप्ति

माननीय जिला न्यायालय परिसर, देहरादून में गेट नं० 01 के समीप कन्विनिएन्स ब्लॉक के प्रथम तल पर कैण्टीन(क्षेत्रफल 412.27 वर्गमीटर) के संचालन के लिए जनपद देहरादून के एन०आर०एल०एम० एवं एन०यू०एल०एम० योजना के अर्न्तगत गठित ऐसे स्वयं सहायता समूहों जिनके द्वारा इन्दिरा अम्मा कैण्टीन का संचालन किया गया हो तथा वर्तमान में जिनके द्वारा इन्दिरा अम्मा/हिलांस कैण्टीन का संचालन न किया जा रहा हो, द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

आवेदन की शर्तें एवं आवेदन पत्र कार्यालय जिला मिशन प्रबन्धक विकास भवन, देहरादून से अथवा जिला न्यायालय देहरादून की वेबसाइट <https://dehradun.dcourts.gov.in> से निःशुल्क दिनांक 26.12.2025 से 09.01.2026 तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक प्रकार से भरे गये आवेदन—पत्र दिनांक 15.01.2026 तक जिला मिशन प्रबन्धक कार्यालय विकास भवन, सर्वे चौक देहरादून के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2026 दिन शुक्रवार को जिला न्यायालय भू—तल स्थित सभागार में समिति द्वारा खोले जायेंगे एवं उपयुक्त एवं वैद्य पाये गये प्रस्तावों पर शाम 4:00 बजे लॉटरी के माध्यम से कैण्टीन का आवंटन किया जायेगा।

जिला मिशन प्रबन्धक,  
एन०आर०एल०एम०,  
देहरादून।

### कैण्टीन आवंटन हेतु आवश्यक शर्तें

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 8815/UHC/Admn.B/IX-b/2023 दिनांकित 11.12.2025 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला न्यायालय परिसर देहरादून में अवस्थित जनसुविधा ब्लॉक गेट नं० 01 के समीप कन्विनिएन्स ब्लॉक के प्रथम तल पर कैण्टीन(क्षेत्रफल 412.27 वर्गमीटर) के संचालन के लिए जनपद देहरादून के एन०आर०एल०एम० एवं एन०यू०एल०एम० योजना के अर्न्तगत ऐसे स्वयं सहायता समूहों जिनके द्वारा पूर्व में इन्दिरा अम्मा कैण्टीन का संचालन किया गया हो तथा **वर्तमान में जिनके द्वारा इन्दिरा अम्मा/हिलांस कैण्टीन का संचालन न किया जा रहा हो**, के चयन के लिए निम्न शर्तें नियत की जाती हैं:—

1. जिला न्यायालय परिसर, देहरादून में स्थित उपरोक्त कैण्टीन का आवंटन दो वर्षों के लिए खुली निविदा के आधार पर आमंत्रित स्वयं सहायता समूहों के सम्यक प्रकार से भरे गये, प्राप्त आवेदन पत्रों में से लॉटरी के माध्यम से सर्वप्रथम मुख्य आवंटी समूह का चयन समिति द्वारा किया जायेगा, तदोपरांत क्रमशः तीन प्रतीक्षरत आवंटी समूहों का चयन वरीयता के आधार पर किया जायेगा।
2. यदि आवंटी समूह द्वारा आवंटन के 15 दिन की भीतर कैण्टीन का सुचारु संचालन आरम्भ नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में प्रतीक्षरत दूसरे वरीय आवंटी को कैण्टीन आवंटित कर दी जायेगी।
3. कैण्टीन संचालन के लिए जनपद देहरादून के केवल ऐसे समूह ही आवेदन कर पायेंगे जिनके पास एफ.एस.एस.ए.आई. का प्रमाण-पत्र हो और जिनके द्वारा इन्दिरा अम्मा कैण्टीन का संचालन अच्छी साख, गुणवत्ता, नियमों व शर्तों के अधीन सदाचार के साथ किया गया हो।
4. आवेदक समूह को कैण्टीन परिसर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। समूह द्वारा विद्युत व पानी का सबमीटर लगाते हुए शुल्क का स्वयं वहन किया जायेगा व समय समय पर नजारत अनुभाग में जमा बिल की रसीदें प्रस्तुत की जायेगी।
5. आवेदक समूह द्वारा उपभोक्ताओं के बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं की जायेगी तथा किचन के लिए वाणिज्यिक गैस कनेक्शन के साथ अन्य वारदाना भी अपने स्त्रोतों से जुटाया जायेगा।
6. आवेदक समूह द्वारा आम आदमी हेतु Reasonable And Affordable दरों पर जनता थाली उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें दाल, चावल, 4 रोटी, सब्जी व सलाद उपलब्ध कराया जायेगा। इस थाली का मूल्य रुपये 50.00 रखा जायेगा।

7. आवेदक समूह द्वारा एक स्पेशल थाली भी उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें दाल, चावल, 4 रोटी, 2 सब्जी, रायता/दही, स्वीट डिस, सलाद, आचार उपलब्ध कराया जायेगी, जिसका मूल्य रुपये 100.00 प्रति थाली होगा।
8. आवंटी समूह द्वारा उपरोक्त थालियों के अतिरिक्त चाय की दरें रु. 10.00 प्रति कप एवं कॉफी की दरें रु. 30.00 प्रति कप रखी जायेगी।
9. आवंटी समूह द्वारा अन्य समस्त खाद्य सामाग्री एम.आर.पी. से अधिक दरों पर नहीं बेची जायेगी।
10. आवंटी समूह द्वारा उस दिन बेचे जा रहे समस्त खाद्य सामाग्री की दर सूची सादृश्य स्थानों प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
11. आवंटी समूह द्वारा साफ-स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामाग्री ही परोसी जायेगी।
12. आवंटी समूह द्वारा कैण्टीन परिसर की साफ-सफाई एवं कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
13. आवंटी समूह द्वारा कैण्टीन का संचालन प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 7:00 बजे से शायं 7:00 बजे तक किया जायेगा।
14. आवंटी समूह द्वारा किसी भी दशा में कैण्टीन को अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जायेगा।
15. आवंटी समूह द्वारा कैण्टीन में मादक, स्वापक एवं धुम्रपान आदि से जुड़े उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।
16. आवेदक समूह द्वारा रु 50,000/- की धरोहर धनराशि एफ.डी. के रूप में जिला जजी में जिला जज, देहरादून के नाम से बन्धक रखी जायेगी।
17. आवंटी समूह द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त गठित चयन समिति द्वारा उनका आवंटन निरस्त किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त की जायेगी।
18. कैण्टीन संचालन/निरस्तीकरण से जुड़े किसी भी विषय में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उपरोक्त गठित चयन समिति को होगा।

जिला मिशन प्रबन्धक,  
एन0आर0एल0एम0,  
देहरादून।

## आवेदन-पत्र

1. स्वयं सहायता समूह का नाम:—
2. योजना का नाम (एन.आर.एल.एम./एन.यू.एल.एम.):—
3. ग्राम/विकासखण्ड/नगरी निकाय का नाम:—
4. समूह का एम.आई.एस. क्रमांक:—
5. समूह का एफ.एस.एस.ए.आई क्रमांक एवं छायाप्रति संलग्न की जाय:—
6. पूर्व में इन्दिरा अम्मा कैण्टीन संचालन का स्थान:—
7. पूर्व में इन्दिरा अम्मा कैण्टीन की संचालन की अवधि:—

अध्यक्ष,  
स्वयं सहायता समूह,

सचिव,  
स्वयं सहायता समूह,

कोषाध्यक्ष,  
स्वयं सहायता समूह,

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है।

बी.एम.एम./सी.एम.एम.  
संबन्धित विकासखण्ड/ नगरनिकाय  
जनपद देहरादून।